

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 जुलाई 2020—श्रावण 5, शक 1942

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2020

क्र. एफ-1-6-2018-बावन-1.—मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा (29) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विनियम, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

विनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में, शब्द तथा अंक "आयु 60 वर्ष" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "आयु 62 वर्ष" स्थापित किए जाएं.

विनियम की धारा 7 की उपधारा (2) खण्ड-1 में, शब्द तथा अंक "60 वर्ष की आयु" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "62 वर्ष की आयु" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रकान्त कश्यप, अवर सचिव.